राजस्थान सरकार
सहकारिता विभाग

क्रमांकःसह / पी.एस.एस. / 2021–22 / 3420-3528 दिनांकः 26.03.2021

1. खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, ...(समस्त)
2. क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड, ...(समस्त)
3. उप रजिस्ट्रार, सहकार समितियाँ, ...(समस्त)

विषय :– समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत रबी 2021–22 में सरसों–चना की खरीद।
प्रसंग :– राजफैड़ का पत्र क्रमांक 2788–3248 दिनांक 24.03.2021

रबी 2021–22 में समर्थन मूल्य पर दलहन–तिलहन की खरीद हेतु राजफैड़ द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश प्रासंगिक पत्र दिनांक 24.03.2021 से जारी किये जा चुके है। किसानों के पंजीयन भी दिनांक 25.03.2021 से आरंभ हो गये है। पटवारियों की हड़ताल के चलते किसानों को गिरदावरी प्राप्त करने में असुविधा हो रही है। दिनांक 25.03.2021 को किसानों द्वारा सरसों–चना के कराये गये पंजीयनों का ऑनलाइन परीक्षण करने पर यह ज्ञात हुआ कि किसानों द्वारा गत वर्ष की गिरदावरी के आधार पर ही पंजीयन करवा लिये गये है, ऐसी गिरदावरियाँ कृषि पर्यवेक्षक से प्रमाणित नहीं है। वास्तविक किसान समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत सरसों–चना विक्रय करने से वंचित न रहे इस उद्देश्य से यह व्यवस्था की जाती है कि **गत वर्ष की गिरदावरी के आधार पर जिन किसानों द्वारा सरसों–चना हेतु पंजीयन करवा लिया गया है, ऐसे किसान खरीद के समय क्रय केन्द्र पर पहुँचने से पूर्व प्रमाणित गिरदावरी लेकर आए जिसमें किसान द्वारा बोई गई फसल एवं रकबे का स्पष्ट उल्लेख हो ताकि किसान से सरसों–चना की खरीद की जा सके।**

कृषि विभाग के आदेश दिनांक 22.03.2021 द्वारा कृषि पर्यवेक्षकों के स्तर से गिरदावरी प्रमाणित करने की की गयी व्यवस्था के संबंध में पृथक से भी निर्देश जारी किये जा रहे है।

(कुंजी लाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव
(सहकारिता एवं कृषि)

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, माननीय सहकारिता एवं गोपालन मंत्री महोदय, राजस्थान ,जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार ,जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. आयुक्त कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ राजस्थान जयपुर।
7. जिला कलक्टर(संबंधित)..................................
8. संयुक्त शासन सचिव, कृषि / सहकारिता।
9. महाप्रबन्धक(वित्त / कृषि / मा.स.वि. / फैक्ट्री) राजफैड, जयपुर।
10. अतिरिक्त रजिस्ट्रार(मार्के), सहकारी समितियॉ, राजस्थान जयपुर।
11. प्रबन्ध संचालक, तिलम संघ, जयपुर।
12. शाखा प्रबन्धक, नेफेड जयपुर।
13. निजी सचिव, प्रबन्ध संचालक, राजफैड़, जयपुर – उक्त आदेश राजफैड़ वेबसाईट पर अपलोड करने के संबंध में।
14. आईटी शाखा, राजफैड, जयपुर।
15. प्रचार अधिकारी, सहकारी विभाग, राजस्थान, जयपुर।

प्रबन्ध संचालक
राजफैड़